# कार्यालय मुख्य अभियन्ता (स्तर–1)
## ग्रामीण निर्माण विभाग,
## तपोवन मार्ग, रायपुर रोड, उत्तराखण्ड देहरादून।

E-mail- hod.res.uk@gmailcom, Ph. No. 2780290 Website www.res.uk.gov.in


पत्रांक 3595 / निर्माण–7 / बजट / 2024–25, दिनांक 18 मार्च, 2025।

अधिशासी अभियन्ता,
ग्रामीण निर्माण विभाग,
प्रखण्ड पौड़ी / डीडीहाट / बागेश्वर / चम्पावत / घनसाली।

विषयः– <u>वित्तीय वर्ष 2024–25 में ग्रामीण निर्माण विभाग के अन्तर्गत नाबार्ड की RIDF-XXX योजनान्तर्गत 09 नई ग्रामीण सड़क निर्माण योजनाओं की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति के सम्बन्ध में।</u>

उपरोक्त विषयक शासन के पत्र संख्या 151 / XII-3 / 2025 / 83(08) / 2022 (ई–36160) दिनांक 11.03.2025 के क्रम में वित्तीय वर्ष 2024–25 में ग्रामीण निर्माण विभाग के अन्तर्गत नाबार्ड की RIDF-XXX योजनान्तर्गत 09 नई ग्रामीण सड़क निर्माण योजनाओं के आगणनों की विभागीय टी0ए0सी0 से अनुमोदित धनराशि ₹ 2400.89 लाख (नाबार्ड द्वारा ऋण हेतु उपयुक्त पायी गयी धनराशि ₹ 2005.95 लाख) की प्रशासनिक एवं वित्तीय प्रदान करते हुए चालू वित्तीय वर्ष 2024–25 में उक्त शासनादेश के संलग्नक के कॉलम 2 में उल्लिखित योजनावार कॉलम 8 में उल्लिखित विवरणवार मोबिलाइजेशन एडवांश हेतु कुल **₹ 06,01,78,500/- (रूपये छः करोड़ एक लाख अडहत्तर हजार पाच सौ मात्र)** की धनराशि निम्न शर्तो / प्रतिबन्धों के अधीन आवंटित की जाती हैः–

1. विभिन्न मदों में व्यय से पूर्व वित्त अनुभाग–1 के शासनादेश सं0–847 / XXVII(1) / 2016 दिनांक 26.07.2016 द्वारा दिये गये दिशा–निर्देशों के आलोक में कार्यवाही सुनिश्चित की जायें। साथ ही सक्षम स्तर की अनुमति / यथास्थिति शासन का अनुमोदन प्राप्त कर ही विभिन्न मदों में व्यय किया जाय।
2. किसी भी शासकीय व्यय हेतु वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–1 (वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिधायन नियम), वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–5 भाग–1 (लेखा नियम), आय–व्ययक सम्बन्धी नियम (बजट मैनुअल), उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति (प्रोक्योरमेंट) नियमावली, 2017, शासनादेश संख्या–103 / XXVII(7) / 2007 टी0सी0–1, दिनांक 21.07.2022, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के शासनादेश तथा अन्य सुसंगत नियम, शासनादेशों आदि का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।
3. नियमानुसार एवं वास्तविकता के आधार पर ही धनराशि व्यय की जाय, कार्य की स्वीकृत लागत की सीमा तक ही धनराशि व्यय की जाय। कार्य की लागत से अधिक व्यय सृजित किये जाने पर सम्बन्धित का उत्तरदायित्व निर्धारित किया जाय। कार्य की तृतीय पक्ष गुणवत्ता परीक्षण अवश्य सुनिश्चित किया जाय।
4. निर्माण कार्य हेतु अनुमोदित दर अनुसूची (SOR) आधार पर गठित आगणन का सक्षम / प्राधिकृत स्तर से परीक्षण एवं तदोपरान्त वित्तीय / प्रशासनिक और तकनीकी / प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त कर ही आहरण एवं व्यय किया जायेगा।
5. बजट प्राविधान किसी भी लेखा शीर्षक / मद के अन्तर्गत व्यय की अधिकतम सीमा को ही प्राधिकृत करता है अतः बजट प्राविधान से अधिक किसी भी दशा में न तो व्यय किया जाय और न ही पुनर्विनियोग व अन्य माध्यम से अतिरिक्त बजट की प्रत्याशा में कोई व्यय भार / दायित्व सृजित किया जाय।
6. आहरण वितरण अधिकारी तथा कोषाधिकारी को अवमुक्त धनराशि का व्यय विवरण निर्धारित बी0एम0–प्रपत्र पर प्रत्येक माह की 5वीं तिथि तक इस कार्यालय को उपलब्ध करा दी जाय।
7. आगणनों का पुनः परीक्षण करते हुए उसकी सीमा तक ही व्यय किया जाना सुनिश्चित करें। आगणित धनराशि से अधिक व्यय सृजित किये जाने व आगणनों का पुनर्गठित किये जाना गम्भीर लापरवाही मानी जाएगी और अनियमित्ता के लिये दोषी अधिकारियों के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही सम्पन्न की जायेगी।

भूमि मुआवजें का वास्तविक आंकलन करते हुए राजस्व विभाग से सत्यापित कर नियमानुसार भुगतान की कार्यवाही की जायेगी।

8. निर्गत की जा रही वित्तीय स्वीकृतियों से कराये जाने वाले कार्यो की सूचना सुराज, भ्रष्टाचार उन्मूलन एवं जन सेवा विभाग उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या–1638 / XXX-1-12(25)2011, दिनांक 08.12.2011 द्वारा अपेक्षित राज्य सरकार की वेबसाइट www.ua.nic.in तथा विभाग की वेबसाइट पर अनिवार्य रूप से प्रकाशित की जायेगी और उन्हें समय–समय पर अध्यावधिक किया जायेगा।

9. वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश सं– 201358 / 09(150)2019 / XXVII(1) / 2024 दिनांक 22.03.2024 में निर्गत दिशा–निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

उक्त सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2024–25 के स्वीकृत आय–व्ययक के सापेक्ष अनुदान संख्या–19 के लेखाशीर्षक 4515–अन्य ग्राम्य विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय–103–ग्राम्य विकास–98–नाबार्ड 01–ग्रामीण सड़कें एवं ड्रेनेज विभाग में निर्माण कार्य –53–वृहत निर्माण कार्य के अन्तर्गत किया जायेगा। इस प्रयोजन हेतु Online Budget Allotment की हार्ड कॉपी भी संलग्न की जा रही है।

यह आदेश वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन के पत्र संख्या–1 / 281155 / 2025 दिनांक 07.03.2025 में दी गयी सहमति के क्रम में जारी किये जा रहे है।

<u>संलग्न–उपरोक्तानुसार।</u>

8/3/25

**मुख्य अभियन्ता (स्तर–1)**
ग्रामीण निर्माण विभाग
उत्तराखण्ड देहरादून।

<u>संख्या एवं दिनांक उपरोक्तानुसार।</u>

**प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–**

1– महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2– सम्बन्धित कोषाधिकारी / वरिष्ठ कोषाधिकारी / उप कोषाधिकारी।
3– निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें उत्तराखण्ड 23 लक्ष्मी रोड, देहरादून।
4– मुख्य अभियन्ता (स्तर–2), ग्रामीण निर्माण विभाग, नैनीताल स्थित भीमताल।
5– अधीक्षण अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, परिमण्डल देहरादून / पौड़ी / पिथौरागढ़ को इस आशय से कि प्रपत्र वी0एम0–4 पर संकलित व्यय विवरण प्रत्येक माह की 5वीं तिथि तक मुख्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
6– गार्ड फाईल।

<u>संलग्न– उपरोक्तानुसार।</u>

**वरिष्ठ वित्त अधिकारी**
कार्यालय मुख्य अभियन्ता (स्तर–1)
ग्रामीण निर्माण विभाग
उत्तराखण्ड देहरादून।

शासनादेश संख्या–151 / XII–3 / 2025 / 83(08) / 2022, दिनांक 11 मार्च, 2025 का संलग्नक

(धनराशि लाख में)

| क्र0 सं0 | मार्ग का नाम | प्रखण्ड का नाम | लम्बाई (कि0मी0 में) | कुल लागत | नाबार्ड द्वारा ऋण हेतु स्वीकृत धनराशि | सर्वेक्षण एवं DPR गठन हेतु पूर्व में अवमुक्त धनराशि | वर्तमान में अवमुक्त की जा रही धनराशि (मोबिलाइजेशन एडवांस) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | जनपद पौड़ी गढ़वाल के वि0ख0 पौड़ी के अन्तर्गत ल्वाली–निग्याणा से आगे तल्ला पाबौ बिरसिंग्या– मल्ला पाबौ तक ग्रामीण मोटर मार्ग का निर्माण।(स्टेज–1) | पौड़ी | 1.125 | 158.200 | 141.540 | 2.40 | 42.462 |
| 2 | जनपद पौड़ी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र चौबट्टाखाल के वि0ख0 पोखरा के अन्तर्गत रीठाखाल–जयखाल मोटर मार्ग के ग्राम दलमाना से दलमाना गूंठ के शिव मंदिर तक ग्रामीण मोटर मार्ग का निर्माण। (स्टेज–1) | पौड़ी | 1.80 | 237.190 | 212.06 | 3.00 | 63.618 |
| 3 | जनपद पौड़ी गढ़वाल के विधानसभा क्षेत्र चौबट्टाखाल के वि0ख0 पोखड़ा के अन्तर्गत बिजोरापानी–कुण्जखाल–कोलाखाल–जयकोट मोटर मार्ग के कि0मी0 8.00 से ग्राम चिनवाड़ी तक ग्रामीण मोटर मार्ग का निर्माण। (स्टेज–1) | पौड़ी | 2.50 | 275.63 | 245.87 | 4.50 | 73.761 |
| 4 | जनपद पिथौरागढ़ के वि0ख0 कनालीछीना के अन्तर्गत ग्राम बथौली के पंचायतघर से सिराड तक ग्रामीण मोटर मार्ग का निर्माण। (स्टेज–1) | डीडीहाट | 3.375 | 337.56 | 300.69 | 4.50 | 90.207 |
| 5 | जनपद पिथौरागढ़ के विधानसभा क्षेत्र धारचूला के वि0ख0 धारचूला के अन्तर्गत जौलजीबी–धारचूला मोटर मार्ग में दुंगातोली से बंडबगड़ मेला स्थल तक ग्रामीण मोटर मार्ग का निर्माण। (स्टेज–1) | डीडीहाट | 1.90 | 418.33 | 237.13 | 2.85 | 71.139 |
| 6 | जनपद पिथौरागढ़ के वि0ख0 डीडीहाट के अन्तर्गत लामाघर से बगजीबला तक ग्रामीण मोटर मार्ग का निर्माण। (स्टेज–1) | डीडीहाट | 4.125 | 385.00 | 342.58 | 5.25 | 102.774 |
| 7 | बैजनाथ–पासतोली मोटर मार्ग के किमी0 3 से आयरतोली ग्राम तक ग्रामीण मोटर मार्ग का निर्माण। (स्टेज–1) | बागेश्वर | 2.80 | 299.90 | 267.41 | 3.00 | 80.223 |
| 8 | जनपद चम्पावत के नरसिंह डांडा मोटर मार्ग के दमोची से सानिया तक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य। (अपग्रेडेशन) | चम्पावत | 1.25 | 133.99 | 120.49 | 0.90 | 36.147 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | ग्राम उलाणा में सिल्काखाल सड़क (दिगलियाखड्ड तोक) होते हुए अनुसूचित जाति बस्ती तक ग्रामीण मोटर मार्ग का निर्माण। (स्टेज–1) | घनसाली | 1.525 | 155.09 | 138.18 | 3.00 | 41.454 |
| | योग– | | **20.40** | **2400.89** | **2005.95** | **29.40** | **601.785** |

(रूपये छः करोड़ एक लाख अडहत्तर हजार पाच सौ मात्र)

ह0–

(मायावती ढकरियाल)

अपर सचिव।